न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम उपरेडा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 37/2010 राजस्व वाद

अनवान

1. कालु पिता हजारी जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा के बजाय–
   1/1 कैलाश पिता कालु जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
   1/2 अलोल बेवा कालु जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

—— **(वादीगण)**

बनाम

1. रूकमा पुत्री बालु जाट निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा राज0
2. उदा पिता हजारी जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
3. काना पिता हजारी जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
   3/1 सांवरा पिता काना जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
   3/2 राधा पुत्री काना जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
   3/3 छोटी पत्नि काना जाट निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——**(प्रतिवादी गण)**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. वादीगण
2. श्री कृष्ण कुमार जीनगर ....प्रतिवादी अधिवक्ता
3. पैरोकार सरकार

दिनांक– 19.06.2017

राजस्व लोक अदाल केम्प मुकाम उपरेडा में वादीगण उपस्थित। आज दिनांक 19.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम उपरेडा पटवार क्षैत्र उपरेडा तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्षा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी कम 01, 02, 3/1 लगायत 3/3 को शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्षात्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1. केलाश पिता कालु, अलोल बेवा कालु जाट निवासी उपरेडा खातेदार हाल निवासी रायपुर तह0 शाहपुरा (वादीगण)

आ0न0	रकबा	लगान
1739	01–00	–
1748	00–05	
1749	00–08	
1752	01–00	
1862/1	00–06	
1871	01–07	
कुल 6	रकबा 04–06 बीघा	–

2. रूकमा पुत्री बालु, उदा पिता हजारी, सांवरा पिता काना, राधा पुत्री काना, छोटी पत्नि काना जाट सा0. उपरेडा खातेदार (प्रतिवादी)

आ0न0	रकबा	लगान
1811	00–08	
1861	04–13	
1862	07–16	
कुल 3	रकबा 12–17 बीघा	

3. पूर्ववत शामलात

आ0न0	रकबा	लगान
1753	00–02	
1854	00–03	
1859	00–14	
1860	00–01	
कुल 4	रकबा 01–00 बीघा	

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01, 02, 3/1 लगायत 3/3 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01, 02, 3/1 लगायत 3/3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 19.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम उपरेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा